

प्रमाण पत्र

(कुम्हारी {पोटरी} एवं मिट्टी का कार्य करने वाले कुंभकार/कारीगर का बोर्ड में पंजीयन का नवीनीकरण कराये जाने हेतु)

प्रमाणित किया जाता है कि, कुमारी/श्री/श्रीमती
पिता/पति पता पर निवास
करता/करती है तथा इनके द्वारा वर्ष/माह से कुम्हारी (पोटरी) एवं
मिट्टी का कार्य किया जा रहा है।

उक्त प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ माटीकला बोर्ड में इनके पूर्व पंजीयन के नवीनीकरण हेतु जारी किया गया है।

**सरपंच/वार्ड पार्षद का हस्ताक्षर एवं
नाम रखर सील सहित**